झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
पंचदश (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 22.01.2019 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्रीमती गीता कोड़ा स0वि0स0 श्री शशिभूषण सामाड़ स0वि0स0 श्रीमती जोबा माँझी स0वि0स0	राज्य में MDM योजना के तहत् बच्चों को साप्ताहिक 3 दिन अण्डा उपलब्ध कराने के प्रावधान को घटाते हुए 2 दिन कर दिया गया है। वगैर बजटीय उपबंध करते हुए अण्डा रू0 4 से बढ़ाकर रू0 6 कर दिया गया है तथा अण्डों की संख्या में कमी कर दी गयी है, दूसरी ओर इसी योजना (MDM) के तहत् राज्य के कई क्षेत्रों जैसे पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर अनुमण्डल के सोनुवाँ प्रखण्ड के कई विद्यालयों में दिनांक- 16.01.19 तक सड़ी हुई अरहर दाल की आपूर्ति की गई है। यह मामला बच्चों की सेहत से जुड़ा है। अतः सरकार द्वारा अण्डा उपलब्ध कराने का पूर्व के प्रावधान को यथावत रखने एवं सड़ी हुई अरहर दाल की आपूर्ति की जाँचोपरान्त दोषियों पर कार्रवाई करने की ओर आसन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराते है।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता

01.	02.	03.	04.
02-	श्री अरूप चटर्जी स0वि0स0 श्री राजकुमार यादव स0वि0स0 श्री कुणाल षड़ंगी स0वि0स0	ज्ञातव्य है कि धनबाद जिला क्षेत्र में 500 कोयला आधारित छोटे-बड़े उद्योग स्थापित है, जो BCCL के विभिन्न कोलयरियों से अपने नाम आवंटित कोयले का रैक व ट्रकों के माध्यम से उठाव करते हैं। इन रैकों व ट्रकों में विभिन्न कोलयरियों में कार्यरत असंगठित मजदूरों के दंगलों द्वारा ही हैंड लोडींग का कार्य किया जाता है, परन्तु इन असंगठित मजदूरों को विभिन्न कोलयरियों से प्रति टन के हिसाब से मिलने वाला हैंड लोडींग दर में काफी विसंगति है। जैसे भवरा, साउथ तिसरा एवं सुदामडीह में प्रतिटन 150/- रूपये, बाराबारी में 200/- रूपये विसकमी प्रोजेक्ट में 300/- रूपये तथा बाघमारा क्षेत्र के कोलयरियों में यह दर 600/-रूपये है, साथ ही इन कोलयरियों के दंगलों पर हमेशा कोलमाफियाँओं का वर्चस्व रहता है जिसके दबाव में यह असंगठित मजदूर हैंड लोडिंग का कार्य करते है, फलस्वरूप इनके मजदूरी एक बड़ा हिस्सा इन कोलमाफियाँओं द्वारा रख लिया जाता है। अतः मैं उक्त वर्णित असंगठित मजदूरों/दंगलो को प्रतिटन में मिलने वाले विभिन्न दरों के विसंगतियों को दुर करते हुए इन मजदूरों को नियमानुसार चिन्हित व निबंधित करते हुए पहचान पत्र निर्गत करने सम्बंधी विषयों पर तथा विगत दो महीने से लगातार तालाबंदी व बंद हुए हार्डकोक उद्योगों को यहाँ के कोलमाफियाँओं व कोयला उद्योगो से जनित रंगदारों से मुक्त कराते हुए चालू कराने सम्बंधी विषयों पर सरकार का ध्यानआकृष्ट कराते है।	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी
03-	श्री शिवशंकर उराँव स0वि0स0	गुमला जिला प्रशासन में कार्यरत एक कार्यालय सहायक के अभूतपूर्व प्रोन्नति की घटना को सदन के माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ जो वर्ष 2012 (25.06.2012 से 31.01.2013 तक)	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

कृ0पृ0उ0

01.	02.	03.	04.
		में कार्यालय सहायक से प्रोन्नत होकर अवर योजना पदाधिकारी, गुमला के रूप में जिला योजना विभाग के कार्यालय में पदस्थापित होता है। अपनी पहुँच और जोड़-तोड़ की बदौलत मात्र 11 महीना के बाद 31.12.2013 को वही अवर योजना पदाधिकारी, श्री अरूण कुमार सिंह गुमला जिला का योजना पदाधिकारी का प्रभार प्राप्त कर लेता है और विगत पाँच वर्षो से गुमला का प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी बना बैठा है। तारीफ तो इस बात की है कि उसने अबतक किसी को भी गुमला जिला में योजना पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित होने ही नहीं दिया। एक कार्यालय सहायक, जिसका बेसिक वेतनमान महज 3400 रू0 है, अद्यतन वह 39400/-रूपैये वेतनमान पर प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी के रूप में कार्यरत है और प्रभार पर ही जिला के विभाग को पाँच वर्षो से संचालित कर रहा रहा है। गुमला जिला एक पिछड़ा जिला होने के कारण केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जिला के विकास के लिए अरबो रू0 की राशि सालाना दी जा रही है और यह राशि उक्त पदाधिकारी के अधीनस्थ कार्यालय से कई प्रकार की संरचनात्मक विकास योजनाओं के मार्फत व्यय की जा रही है। ऐसे जिले में पिछले पाँच वर्षो से एक अदद सक्षम जिला योजना पदाधिकारी की पदस्थापना नहीं होना या नहीं किया जाना, अपने आप में एक गंभीर प्रश्न है। निस्संदेह और स्वभाविक रूप से इतने लम्बे समय तक प्रभार में रहने वाले एक कनिष्ठ पदाधिकारी की आर्थिक हैसियत की परिकल्पना की जा सकती है। जिलास्तरीय योजनाओं के कार्यान्वयन का दायित्व इसी अधिकारी के अधीन है और आज जिला के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी से पूछें कि ठेकेदार पदाधिकारी जिला में कौन-	

01.	02.	03.	04.
		है, तो कोई भी बता सकता है। जो जिला के निर्माण और संरचनात्मक कार्यो के क्रियान्वयन हेतु निविदा भी स्वयं आमंत्रित करता और अपना डमी खड़ा करके उस कार्य की ठेकेदारी भी स्वयं करता है। ऐसे में कोई पांच सालों में आकूत बेनामी सम्पति भी खड़ी कर ले तो कोई आश्चर्य की बात तो नहीं। मैं सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि कथित पदाधिकारी के प्रोन्नति, प्रभार तथा गुमला जिला में विगत पाँच सालों से सक्षम योजना पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं किए जाने के कारणों की पड़ताल सहित उक्त प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी द्वारा अर्जित आय से अधिक सम्पत्ति की भी जांच की जाए और संलिप्तों पर यथोचित कानूनी कार्रवाई हो ताकि राज्य में भ्रष्टाचार पर लगाम लगायी जा सके।	
04-	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी स0वि0स0 श्री जयप्रकाश भाई पटेल स0वि0स0 श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी स0वि0स0	राज्य में माईका अधिनियम 1947 के तहत् गिरिडीह और कोडरमा जिले में सैकड़ों लोग माईका व्यवसाय से जुड़े थे जिससे सरकार को काफी राजस्व की प्राप्ति होती थी और उक्त व्यवसाय से जुड़े लोग अपना जीविकोपार्जन करते थे। परन्तु वर्ष 2007 में सरकार उक्त व्यवसाय से जुड़े लोगों का लाइसेंस पुनः नवीकरण करना बन्द कर दी जिससे उक्त जिले में वर्षो से उक्त व्यवसाय से जुड़े लोगों का परिवार भूखमरी के कगार पर आ गई है। साथ ही सरकार द्वारा उक्त व्यवसाय को लघु उद्योग का दर्जा दी जाने के बावजूद उक्त व्यवसायियों को मुख्यतः तीन सबसे कठोर नियम जैसे वन विभाग की स्वीकृति, प्रदूषण जाँच से सम्बंधित पत्र एवं सम्बंधित अंचलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र आदि लेना अनिवार्य कर दी गई है जबकि राजस्थान एवं आंध्रप्रदेश में भी माईका प्रचुर मात्र में पाये जाने के वहाँ लाखों लोग उक्त व्यवसाय से जुड़े तथा उक्त राज्यों में उक्त व्यवसाय को लघु उद्योग/	खान एवं भूतत्व

		व्यवसाय का दर्जा अन्तर्गत लाइसेंस नवीकरण की प्रक्रिया काफी सरल है, जिससे उक्त व्यवसायियों को कठिनाईयों का सामना न करना पड़े तथा सरकार को अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति हो। परन्तु राज्य में सरकार के कठोर नीति के कारण उक्त व्यवसाय से जुड़े लोगों का लाइसेंस नवीकरण कार्य वर्षो से बन्द है जिससे सरकार को राजस्व की क्षति भी हो रही है। अतः सदन के माध्यम से उक्त गंभीर मामले की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहते है।	
05-	श्री राज सिन्हा स0वि0स0	धनबाद शहर की आबादी लगभग 30 लाख है। ग्रैंड कार्ड रेल लाईन धनबाद शहर को दो हिस्सों में बांटती है। बैंक मोड़ इलाका धनबाद का काफी पुराना एवं प्रसिद्ध व्यवसायिक चौक और भीड़-भाड़ वाला इलाका है। रेल लाईन के दोनों तरफ के इलाके बैंक मोड़ और रांगाटाँड़ पूजा टॉकिज चौक को जोड़ने वाला रास्ता हमेशा जाम रहता है। लोगों को आने-जाने में घंटो लग जाते है। मटकुरिया से पूजा टॉकिज तक फ्लाई ओवर बनाने की मांग कई वर्षो से की जाती रही है। रोज हजारों की संख्या में स्कूटर, मोटरसाईकिल, टेम्पू, कार, बस आदि उस रास्ते से गुजरते हैं। अतः मैं सरकार का ध्यानाकृष्ट कराते हुए आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द मटकुरिया से पूजा टॉकिज, बैंक मोड़ होते हुए एक फ्लाई ओवर का निर्माण कराया जाए।	पथ निर्माण

राँची,
दिनांक- 22 जनवरी, 2019 ई0।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ0पृ0उ0

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2019-....732...../वि0 स0, राँची, दिनांक- 21/01/19

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय राँची/स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/खान एवं भूतत्व विभाग एवं पथ निर्माण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/01/19
(विष्णु पासवान)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2019-....732...../वि0 स0, राँची, दिनांक- 21/01/19

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

21/01/19
अव सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-